Dr Anshu Pandey
Assistant Professor
History department

UNIT – II : दलित आंदोलन

डॉ. भीमराव अम्बेडकर : संविधान निर्माण, सामाजिक न्याय की स्थापना और धर्म परिवर्तन का ऐतिहासिक महत्व

डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर का योगदान केवल दलित आंदोलन के एक नेता के रूप में सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने आधुनिक भारत की सामाजिक और संवैधानिक संरचना को आकार देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। यदि उनके प्रारंभिक संघर्षों ने दलित समाज को आत्मसम्मान और संगठन की दिशा दी, तो संविधान निर्माण में उनकी भूमिका ने सामाजिक न्याय को विधिक और संस्थागत आधार प्रदान किया। स्वतंत्र भारत के निर्माण के समय यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण था कि सदियों से शोषित और वंचित समुदायों को किस प्रकार समान अधिकार और अवसर प्रदान किए जाएँ। इस ऐतिहासिक क्षण में डॉ. अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया, जो उनकी बौद्धिक क्षमता, विधिक ज्ञान और सामाजिक दृष्टि का प्रमाण था।

संविधान निर्माण के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने इस बात पर विशेष बल दिया कि भारत केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र न बने, बल्कि सामाजिक रूप से भी न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज का निर्माण करे। उनके विचार में राजनीतिक लोकतंत्र तभी सार्थक है, जब वह सामाजिक लोकतंत्र के साथ जुड़ा हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित जीवन पद्धति। यही कारण है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया, जिनमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और विधि के समक्ष समान संरक्षण का अधिकार शामिल है।

अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया। यह प्रावधान केवल एक कानूनी घोषणा नहीं था, बल्कि सदियों पुरानी सामाजिक प्रथा के विरुद्ध एक क्रांतिकारी कदम था। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया। यह नीति केवल दया या कृपा पर आधारित नहीं थी, बल्कि ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई और समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक न्यायसंगत उपाय थी।

डॉ. अम्बेडकर ने श्रमिकों के अधिकारों, महिलाओं की समानता और सामाजिक सुरक्षा के प्रश्नों पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने श्रम कानूनों में सुधार, न्यूनतम मजदूरी और कार्य के उचित समय जैसी व्यवस्थाओं का समर्थन किया। उनका दृष्टिकोण व्यापक था; वे समाज के प्रत्येक वंचित वर्ग के उत्थान को सामाजिक न्याय की अवधारणा का हिस्सा मानते थे। इस प्रकार उनका आंदोलन केवल दलित समुदाय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समग्र सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन बन गया।

संविधान निर्माण के पश्चात भी डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक सुधार के अपने प्रयासों को जारी रखा। उन्होंने यह अनुभव किया कि केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं; जब तक समाज की मानसिकता में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक वास्तविक समानता स्थापित नहीं हो सकेगी। इसी चिंतन के परिणामस्वरूप उन्होंने धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया। उनका मानना था कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में सुधार की संभावनाएँ सीमित हैं और दलितों को सम्मानजनक जीवन के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाना होगा।

14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। यह घटना केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विद्रोह का प्रतीक थी। बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने समानता, करुणा और तर्कशीलता के मूल्यों को स्वीकार किया। इस धर्म परिवर्तन ने दलित आंदोलन को नई दिशा प्रदान की और आत्मसम्मान की भावना को सुदृढ़ किया।

डॉ. अम्बेडकर का दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय समाज और राजनीति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनके विचारों ने सामाजिक न्याय, आरक्षण नीति और मानवाधिकारों की अवधारणा को स्थायी आधार दिया। आज भी दलित आंदोलन उनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेता है। उनका जीवन और कार्य यह दर्शाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन केवल भावनात्मक अपील से नहीं, बल्कि संगठित प्रयास, वैचारिक स्पष्टता और संवैधानिक उपायों से संभव है।

इस प्रकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा में समाहित है। उन्होंने दलित आंदोलन को वैचारिक गहराई, राजनीतिक शक्ति और संवैधानिक संरक्षण प्रदान

किया। उनका संघर्ष और दृष्टि भारतीय समाज में समानता और न्याय की स्थापना की दिशा में सदैव मार्गदर्शक रहेंगे।